न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 23 / 17
दायरा दिनांक 09.03.2017
निर्णय दिनांक 10.07.2019

बउनवान

1. भगवान लाल उम्र 60 वर्ष पुत्र नारायण उर्फ नरान उर्फ नारान उर्फ रामनारायण जाति लोधी निवासी सिमलोद तहसील किशनगंज हाल निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. भैरूलाल । पुत्रान लालचन्द जाति लोधी निवासी सिमलोद
2. नवल किशोर । तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
3. बलराम ।
4. आशाबाई पुत्री लालचन्द जाति लोधी निवासी सिमलोद हाल निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
5. चम्पा बाई बैवा लालचन्द जाति लोधी निवासी सिमलोद हाल निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
6. हरगोविन्द पुत्र नारायण जाति लोधी निवासी सिमलोद हाल निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय , किशनगंज जिला बारां

प्रतिवादीगण

दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,92ए,188,209 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :—10.07.2019

वादी की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,92ए,188,209 आर.टी.एक्ट में अभिभाषक श्री सत्यनारायण गोयल ने इस आशय का पेश किया

1. यह कि आराजी खाता सं0 नई 64 पुरानी 65 ख0न0 33 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा,ख0न0 44 रकबा 22 बीघा, ख0न0 74 की रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 167 की रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 169 की रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 174 की रकबा 11 बिस्वा, ख0न0 181 की 8 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाके ग्राम सिमलोद पटवार हल्का सिमलोद तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे स्थित है जिसको वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि मद नं0 1 वाद पत्र मे वर्णित आराजियात् का इंतकाल नं. 370 दिनांक 28.05.2015 से विभाजन हो जाने के कारण वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे विवादित आराजियात् की स्थिति निम्न प्रकार मे दर्ज होने से ख0न0 33 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 74 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 167 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 169 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 174 रकबा 5 बिस्वा, ख0न0 181 रकबा 4 बिस्वा कुल किस्ता 6 कुल रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अवैधानिक रूप से दर्ज है । इस मद मे वर्णित आराजियात् को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

3. यह कि वादग्रस्त आराजियात वर्णित मद नं0 1 व 2 वादी की पुश्तैनी आराजियात् है जिसके पूर्व खातेदार वादी के पिता नरान उर्फ नारान उर्फ नारायण उर्फ रामनारायण पुत्र नेनगा थे जिनका फोती इंतकाल नं0 26 ग्राम पंचायत छतरगंज द्वारा दिनांक 30.10.72 को तस्दीक किया जिसमे वादी के नाम वादी के पिता नरान के स्थान पर विवादित आराजी कुल रकबा 46 बीघा 3 बिस्वा के हिस्से 1/4 पर नामा. तस्दीक किया हुआ है तथा साथ ही ग्राम पंचायत छतरगंज द्वारा अवैधानिक रूप से यह इंतकाल तस्दीक कर इसको निरस्त करवाये जाने के पूर्व ही इसी इंतकाल मे प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 5 के पिता व पति लालचन्द व प्रतिवादी क्रम 6 से मिलीभगत के आधार पर वादी को गोद जाना बताकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के पिता लालचन्द व प्रतिवादी क्रम 6 हरगोविन्द व मृतक अयोध्याबाई के नाम दर्ज करने के आदेश पारित फरमा दिये गये। जबकि इस इंतकाल मे एक बार वादी का नाम दर्ज होने के आदेश होने के उपरान्त इस इंतकाल मे वादी का नाम अवैधानिक रूप से गोद जाना बताकर हटाया है। ग्राम पंचायत छतरगंज को वादी का नाम हटाने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। जबकि वर्तमान मे वादी अपनी सौतेली मां अयोध्या बाई के फौत होने के पश्चात विवादित आराजी कुल रकबा 46 बीघा 3 बिस्वा के हिस्से 1/3 पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है इस कारण वादी स्वयं को विवादित आराजी के हिस्से 1/3 पर खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

4. यह कि वादी के पिता पूर्व खातेदार विवादित आराजीयात् मृतक नरान उर्फ नारान उर्फ नारायण उर्फ रामनारायण पुत्र नेनगा की पहली ब्याहता पत्नी छोटीबाई के नुफ्ते से वादी का जन्म हुआ वादी की मां छोटी बाई के देहान्त के पश्चात वादी के पिता नरान उर्फ नारान उर्फ नारायण उर्फ रामनारायण ने अयोध्या नामक महिला से नाता विवाह किया नरान व अयोध्या से 2 पुत्र प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादिया क्रम 5 के पति लालचन्द व प्रतिवादी क्रम 6 हरगोविन्द व 3 पुत्रियां कांती, रामकली व पुष्पा पैदा हुई। वर्तमान मे पुष्पा लाऔलाद फोत हो चुकी है वादी की मां छोटीबाई फोत हो चुकी है तथा वादी की सोतेली मां अयोध्या फोत हो चुकी है। इस प्रकार वर्तमान मे विवादित आराजी के पूर्व खातेदार नरान उर्फ नारान उर्फ नारायण उर्फ रामनारायण के वादी भगवान व नरान के पुत्र लालचंन्द के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 व नरान के

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पुत्र हरगोविन्द प्रतिवादी क्रम 6 व नरान की पुत्री मृतक कांती के वारिसान एवं नरान की दुसरी पत्नी मृतक रामकली के वारिसान जीवित है। विकल्प मे विवादित आराजी मे उक्त प्रकार से नरान के सभी उत्तराधिकारीयो का हिस्सा माना भी जावे तब भी विवादित आराजी के पूर्व खातेदार मृतक नरान उर्फ नारान उर्फ नारायण उर्फ रामनारायण वादी के पिता के स्थान पर वादी स्वय को विवादित आराजी कुल रकबा 46 बीघा 3 बिस्वा के हिस्से 1/5 पर खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

5. यह कि विवादित आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होने का फायदा उठाने की गरज से प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 विवादित आराजियात् को रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुद बुर्द करने तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 ने वादी को दिनांक 09.01.2017 को धमकी दी है कि चाहे लाशे गिर जाये वादी को उसके हिस्से पर काश्त नही करने देगे तथा विवादित आराजी को रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुद बुर्द करके रहेगे। इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।

6. यह कि प्रतिवादी क्रम 7 को सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। जिसके विधिक प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय बारां को दिनांक 24.01.2017 को अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत है।

7. यह कि वादी को विवादित भूमि के इन्तकाल नं0 26 की नकल लेने पर दिनांक 09.01.2017 को वादी को विवादित आराजी मे अपना नाम अंकन नही होने की जानकारी हुई। वादी द्वारा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने हेतु तहसीलदार महोदय किशनगंज से भी निवेदन किया परन्तु उन्होने वादी की कोई सहायता नही की वरन दावा करने की सलाह दी।

8. यह कि वाद कारण दिनांक 09.01.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को धमकी देने पर प्रथम बार तथा दिनांक 24.1.2017 को राजस्थान सरकार को अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का नोटिस देने पर अंतिम बार उत्पन्न हुआ।

9. यह कि वाद पत्र अवधि मध्य व माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः 1.वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष मे खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि विवादित आराजी वर्णित मद नं0 1 व 2 वाद पत्र कुल रकबा 46 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम सिमलोद पटवार हल्का सिमलोद तहसील किशनगंज जिला बारां(राज0) मे स्थित के 1/ 3 हिस्स पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादी का नाम विवादित आराजी वर्णित मद नं0 1 व 2 वाद पत्र के राजस्व रिकॉर्ड मे हिस्से 1/3 पर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं वादी के पक्ष मे खिलाफ प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

क्रम 1 ता 6 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे की वादी को विवादित आराजी मे प्राप्त हिस्से 1/3 मे प्रतिवादीगण व उनके कोई प्रतिनिधि वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलदांजी व कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे वादी को शांतीपूर्वक काश्त करने दे, अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावे।

2. विकल्प मे विवादित आराजी वर्णित मद नं0 1 व 2 वाद पत्र मे पूर्व खातेदार वादी के पिता नरान उर्फ नारान उर्फ नारायण के अन्य वारिसान का हिस्सा माना भी जावे तो वादी को विवादित आराजी वर्णित मद नं0 1 व 2 वाद पत्र कुल रकबा 46 बीघा 3 बिस्वा के हिस्से 1/5 पर खातेदार घोषित किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम हिस्से 1/5 पर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं वादी के पक्ष मे खिलाफ प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे की वादी को विवादित आराजी मे प्राप्त हिस्से 1/5 मे प्रतिवादीगण व उनके कोई प्रतिनिधि वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व कोई व्यवधान उत्पन्न नही करे वादी को शांतीपूर्वक काश्त करने दे, दौराने वाद यदि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने मे कामयाब हो जावे तो वादी को विवादित आराजी मे प्राप्त वादी के हिस्से पर पुनः कब्जा दिलाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये । नियत तिथि को प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के सम्मन वाद तामील प्राप्त प्रतिवादी क्रम 7 स्वयं उपस्थित क्रम 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः क्रम 6 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। क्रम 1 ता 5 की ओर से एड0 अशोक गोयल ने अण्डरटेकिंग पेश की आदेशिका दिनांक 17.12.2018 से प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर क्रम 1 ता 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। पेरोकार सरकार को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया पेरोकार सरकार का जवाब वाद किया गया वादी अधि0 ने साक्ष्यवादी मे pw-1 भगवान लाल, pw-2 रामस्वरूप, pw-3 चम्पालाल के बयान लेखबद्व किये गये दौराने साक्ष्यवादी pw-1 भगवान लाल ने जाहिर किया

हमारी पुश्तैनी जमीन ग्राम सिमलोद मे कुल किता 7 कुल रकबा 46.03 बीघा स्थित है। इस भूमि का इंतकाल नं0 370 से विभाजन होने से 23 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रति0 1 ता 5 के नाम दर्ज है तथा 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी क्रम 6 के नाम दर्ज है। इस भूमि के पूर्व खातेदार मेरे पिता नारायण उर्फ रामनारायण थे। उनका फोती इन्तकाल प्रतिवादीगण के पूर्वज लालचन्द व प्रतिवादी क्रम 6 हरगोविन्द द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत के कारण खुलवा लिया। जिसमे वादी का नाम नही आया। वादी के पिता नारायण द्वारा छोटी बाई वादी की मां से विवाह किया था। छोटी बाई व वादी के पिता नारायण के नुफते से वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
...नगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

ा जन्म हुआ । छोटी बाई के देहान्त के बाद नारायण द्वारा अयोध्या बाई महिला से नाथा विवाह किया जिससे प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता व 5 के पति लालचन्द व प्रतिवादी 6 हरगोविन्द पेदा हुआ। तथा तीन पुत्रियां कांती, रामकली व पुष्पा पैदा हुई। इस प्रकार विवादित आराजी पर वादी का हिस्सा 1/5 है। जिस पर वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी मौखिक विभाजन के अनुसार 1/3 हिस्से पर काबिज है। वादी न्यायालय से चाहता है कि वादी का दावा डिक्री किया जावे। वादी को खातेदार घोषित किया जावे। वादी ने नकल जमाबन्दी पेश है जो प्रदर्श p-1 है। इन्तकाल नं0 26 प्रदर्थ p-2 है। नोटिस 80 सीपीसी की रसीद प्रदर्थ p-3 है। नोटिस 80 सीपीसी प्रदर्थ p-4 है। जो वादी द्वारा पेश किये गये।

वादी अधिवक्ता और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधिवक्ता की साक्ष्यवादी बन्द की गई । वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया और निवेदन किया । वादी के पिता नारायण उर्फ रामनारायण खातेदार के पहली पत्नी छोटी बाई से वादी का जन्म दुसरी पत्नी से दो पुत्र वादी का 1/3 हिस्सा बनता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया अद्योतन विवेचनानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91ए,188,209 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है।

अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है

–:क्रियात्मक आदेशः–

कि वाकेग्राम सिमलोद पर हल्का सिमलोद की आराजी खाता सं0 नई 64 पुरानी 65, ख0न0 33 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 44 रकबा 22 बीघा , ख0न0 74 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 167 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 169 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 174 रकबा 11 बिस्वा, ख0न0 181 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा के हिस्से 1/5 पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner